संख्या–1637 /III(2)/20–35(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 04 सितम्बर, 2020

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 397/2019 व 398/2019 के अन्तर्गत, जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के 02 मोटर मार्गों का निर्माण (विस्तृत आगणन), कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसकी कुल लम्बाई **4.155** कि0मी0 एवं लागत ₹ **173.56** लाख है, **शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 172.03 लाख (रू0 एक करोड़ बहत्तर लाख तीन हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु रू. 0.10 लाख (रू. दस हजार मात्र) अर्थात 02 कार्यो हेतु रू0 0.20 लाख (रू0 बीस हजार मात्र) की अनुमति, धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नही किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि संलग्न कार्यो में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) विषयगत कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.20 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 संख्या–S20090220003 दिनांक 01 सितम्बर, 2020 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य–02 राज्य सेक्टर–0302 नव निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण (5054–04–800–03–02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–360/XXVII/(2)/2020 दिनांक 01 सितम्बर 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

संख्या– ——/ ।।।(2)/20–35(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड कौलागढ़, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोनिवि, देहरादून।
5. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोनिवि0, हरिद्वार।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि0, हरिद्वार।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1637 /III(2)/20–35(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 04 सितम्बर, 2020 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 397/2019 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र– हरिद्वार ग्रामीण के हरिद्वार–लक्सर–पुरकाजी नेशनल हाईवे से ग्राम रानीमाजरा तक व रानीमाजरा मार्ग से शाहपुर गुरूद्वारे तक मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य **(विस्तृत आगणन)**।	1.830	46.24	0.10
2	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 398/2019 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र– हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम भोगपुर, तिलकपुरी मुख्य मार्ग से गन्ना सेन्टर होते हुए आशादेई डिग्री कॉलेज से आगे टाण्डा मझादा तक मार्ग निर्माण कार्य **(विस्तृत आगणन)**।	2.325	125.79	0.10
	कुल :–	**4.155**	**172.03**	**0.20**

(कुल बीस हजार मात्र)

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन– I" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd
E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 751 /20 याता0'क'/2020

दिनांक–10 .09.2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
3. अधिशासी अभिन्यता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

9/9/2020
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि., देहरादून